न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 77/2017 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2017/00217**

1. चोखाराम पुत्र रामप्रताप जाति नायक, निवासी 2 एच, छोटी हाल 7 एल. पी.एम तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. रेशमा देवी पुत्री रामप्रताप जाति नायक, निवासी 2 एच, छोटी हाल 7 एल.पी.एम तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
3. परमेश्वरी देवी पुत्री रामप्रताप जाति नायक, निवासी 2 एच, छोटी हाल 7 एल.पी.एम तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

– **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र लक्ष्मणराम, जाति नायक, निवासी 7 एलपीएम, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपालराम पुत्र लक्ष्मणराम, जाति नायक, निवासी 7 एलपीएम, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
3. बृजलाल पुत्र लक्ष्मणराम, जाति नायक, निवासी 7 एलपीएम, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
4. रामेश्वरलाल पुत्र रामप्रताप जाति नायक, निवासी 7 एलपीएम, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

– **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः श्री हरिराम विश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सुरेश शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक एलपीएम तहसील रायसिंहनगर में प.नं. 278/358 के मुरब्ब नम्बर 21 व प.नं. 278/359 मुरब्बा नम्बर 24 कुल 50 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन रामप्रताप पुत्र मामराज एवं लक्ष्मण पुत्र मामराज दोनों भाईयों को सयुंक्त रूप से आवंटित हुई। उक्त आवंटित भूमि को दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से पांच रूपये के स्टाम्प बंटवारा कर लिया। जिसमें मुरब्बा नम्बर 21 के कुल 25 बीघा भूमि रामप्रताप के पक्ष में एवं मुरब्बा नम्बर 24 के कुल 25 बीघा लक्ष्मणराम के पक्ष में आए। तत्पश्चात रामप्रताप पुत्र मामराज ने अपने हिस्से में आई भूमि प.नं. 278/358 के मुरब्ब नम्बर 21 की कुल 25 बीघा भूमि की वसीयत अपने भतीजों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार रायसिंहनगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 04.11.2009 प्रदान कर दिया। जिसके आधार पर इंतकाल

संख्या 126 दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 04.11.2009 के विरूद्ध अपीलांट संख्या 1 ता 3 ने अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.07.2017 को अपीलांट्स की उक्त अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक रउण्ण 04.11.2009 को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलांट्स के पिता द्वारा दिनांक 14.05.2007 करना बताया गया है जो की अपंजीकृत वसीयत हैं। जबकि खातेदारी उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 13.12.2008 को जारी की गई और वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 13.08.2008 को ही हो गई। मतलब की वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खातेदारी ली गई। वादग्रस्त कृषि भूमि वसीयत किये जाने के समय गैर खातेदार भूमि थी। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी आवंटी की मृत्यु के पश्चात जारी की गई हैं जबकि आवंटी की मृत्यु के बाद विरासतन इंतकाल दर्ज होकर वारिसों के नाम खातेदारी सदन जारी होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित माना है जबकि आवंटित भूमि कभी भी अकेले आंवटी की स्वअर्जित भूमि नहीं होती है वह पूरे परिवार को पालन–पोषण के लिए आवंटित की जाती हैं। उपनिवेशन क्षेत्र में बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि को स्वअर्जित भूमि नही होकर पूरे परिवार की होती है। विधिक उत्तराधिकारीयों को सुनवाई का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 04.11.2009 एंव अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 12.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में आर.आर.टी वर्ष 2023(1) पेज संख्या 93 का हवाला दिया हैं।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रामप्रताप व लक्ष्मणराम को आवंटन की गयी थी जिस पर अपीलांट्स के द्वारा अपने पिता की सेवा नहीं करने व भूमि खुर्द बुर्द करने के डर से उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपने भतीजों के हक में कर दी जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 120 दर्ज किया गया। अपीलांट के अभीभाषक ने जो मुद्दे अधीनस्थ न्यायालय में नही उठाये वह इस न्यायालय में भी नहीं उठा सकता है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर में विचाराधीन है। एक घोषणा संबधी वाद भी सक्षम न्यायालय में अधिकार एवं स्वामित्व के बाबत विचाराधीन हैं। जमीन स्वयं की स्वामित्व वाली जमीन हैं पैतृक नहीं है। जिस पर वसीयत किये जाने से रोका नहीं जा सकता है। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अखबार में एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन भी किया गया एवं पटवारी की रिपोर्ट भी ली गई। वसीयत का सत्यापन करवाकर ही उसके आधार पर ही इंतकाल दर्ज किया गया। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में

क्या त्रुटि की हैं इस पर अभिभाषक अपीलांट ने किसी भी प्रकार को कथन अपील अपीलांट में नही किया है और ना ही ऐसा कोई बिन्दु बहस के दौरान उठाया। अभिभाषक अपीलांट तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 126 की अपील अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया की वादग्रस्त कृषि भूमि वसीयत किए जाने के समय गैर खातेदार भूमि थी जिसकी वसीयत नही की जा सकती। अतः वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल निरस्त योग्य हैं व वादग्रस्त भूमि विरासतन अपीलांट के नाम दर्ज होना चाहिए। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा वसीयत के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय एवं घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अधिकारों का विनिश्चय वसीयत के निरस्त होने एवं वाद के निर्णय से ही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त बिन्दुओं को आधार मानतें हुए निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2017 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.07.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर